



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष 1942 (श0)
(सं0 पटना 51) पटना, शुक्रवार, 15 जनवरी 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी 2021

एस0ओ0 76, दिनांक 15 जनवरी 2021--विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3324/जे0 दिनांक 07.09.2000 के द्वारा गठित बिहार राज्य विधि आयोग, जिसकी कालावधि विधि विभागीय अधिसूचना सं0-8686/जे0 दिनांक 15.10.2018 द्वारा दिनांक 07.09.2018 से अगले तीन वर्षों के लिए विस्तारित की गयी है। बिहार राज्य विधि आयोग के शेष कार्यकाल (दिनांक 06.09.2021 तक) के लिए, अध्यक्ष के रिक्त पद पर माननीया न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना को नियुक्त किया जाता है।

उन्हें पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतन एवं बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष को देय पूर्व निर्धारित अन्य सभी भत्ते एवं सुविधायें देय होगी।

(सं0सं0 ए0/ए0बी0-01/06-374/जे0.)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पी0 सी0 चौधरी,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 51-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>